

मध्याह्न भोजन

एक प्रवेशिका



फरवरी 2019

मध्याह्न भोजन एक प्रवेशिका फरवरी 2019

प्रस्तावना

यह प्रवेशिका उन सभी व्यक्तियों को संबोधित करती है जो प्राथमिक विद्यालयों में पौष्टिक मध्याह्न भोजन अभियान से जुड़ने में रुचि रखते हैं। इस विषय में दूर-दराज में बसे गांवों से लेकर देश व राज्य की राजधानी के स्तर तक विभिन्न लोगों द्वारा बहुत कुछ किया जा सकता है। पर सबसे पहला कदम होगा मुद्दों को साफ-साफ समझना : दोपहर का खाना क्यों महत्वपूर्ण है, देश की सबसे बड़ी अदालत (सर्वोच्च न्यायालय) का आदेश क्या कहता है, और खाद्य सुरक्षा कानून दोपहर के भोजन की गुणवत्ता कैसे सुधारी जा सकती है, और ऐसे ही तमाम दूसरे मुद्दे। यह प्रवेशिका इन सभी बुनियाद और अन्य सवालों के जवाब देता है।

परिचय

भारत के बच्चों की हालत का सबसे सटीक वर्णन यही होगा कि वे एक ऐसी स्थिति में जी रहे हैं जिसे स्थाई "मानवीय आपातकाल" कहा जा सकता है। 2015-16 के राष्ट्रीय परिवारिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS-IV) के रिपोर्ट के अनुसार राज्य (झारखण्ड) में 47.8 प्रतिशत बच्चें कुपोषित हैं। इसके बाद सरकार ने बच्चों में कुपोषित दूर करने के लिए विद्यालय में मध्याह्न भोजन के मेनु में बदलाव करते हुए अण्डा देना शुरू किया।

शिक्षा के आँकड़े भी कम चौंकाने वाले नहीं हैं। 2007-08 में भारत के मात्र 58 प्रतिशत बच्चों ने आठ वर्ष की विद्यालयी शिक्षा पूरी की। (5-19 वर्ष समूह के) यह भी उनके भविष्य को कई तरह से नुकसान पहुंचाता है। बाल श्रमिक इसके मुख्य शिकार हैं।

यह स्थिति बच्चों के बुनियादी अधिकारों का सरासर उल्लंघन है। हमारे संविधान का 21वां अनुच्छेद कहता है कि सभी भारतीयों को जीवन का बुनियादी अधिकार है। देश के बच्चे भी शामिल हैं, देश की सबसे बड़ी अदालत ने कई बार यह साफ किया है कि जीवन के अधिकार का मतलब

है सम्मान से जीवन जीने का अधिकार, जिसमें भोजन और दूसरी संबंधित जरूरतें शामिल हैं। संविधान के अनुच्छेद 21 (अ) के और तत्पश्चात् 2009 में शिक्षा का अधिकार कानून के तहत 6 से 14 वर्ष के सभी भारतीय बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का हक है। ये अधिकार अंतराष्ट्रीय स्तर पर बच्चों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र के सम्मेलन "कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड" में भी रेखांकित किए गए हैं, जिस पर भारत ने भी हस्ताक्षर किए हैं।

बच्चों की बेहतरी, उनके कल्याण की जिम्मेदारी केवल उनके माता-पिता की नहीं बल्कि हम सबकी है। सच्चाई तो यह है कि माता-पिता हमेशा अपने बच्चों के हित की रक्षा नहीं कर पाते हैं खासतौर से तब, जब वे स्वयं ही गरीबी, बीमारी व सामाजिक भेदभाव के बोझ तले दबे होते हैं। इसलिए बाल-अधिकारों की सुरक्षा दरअसल सार्वभौमिक शिक्षा जैसी सामाजिक व्यवस्थाओं पर निर्भर करती है।

बालकों के अधिकारों की रक्षा हेतु की गई व्यवस्था का दूसरा उदाहरण है प्राथमिक विद्यालयों में पका हुआ पौष्टिक मध्याह्न भोजन उपलब्ध करवाना। दोपहर के भोजन के मुख्य उद्देश्य है। भोजन का अधिकार और शिक्षा के अधिकार को प्रोत्साहन देना। परन्तु वे साथ ही कुछ अन्य उद्देश्यों को हांसिल करने में भी मददगार होते हैं। (नीचे देखें) सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी किए गए आदेशों के अनुसार हरेक बच्चा जो सरकारी या सरकारी सहायता प्राप्त प्राथमिक शाला में पढ़ने जाता है, उसे गरम पके हुए पौष्टिक मध्याह्न भोजन का हक है। परन्तु जमीनी सच्चाई यह है यह हक अभी भी पूर्ण वास्तविकता नहीं बन सका है : यह लगभग सार्वभौमिक रूप से उपलब्ध है लेकिन ज्यादातर राज्यों में इसकी गुणवत्ता बहुत कम है और उसमें सुधार की बहुत आवश्यकता है।

यहाँ भी जनता को सक्रिय हो कार्रवाई करनी होगी ताकि सरकार अपने कानूनी और संवैधानिक दायित्वों को निभाए। आगे दिए गए सवाल-जवाब यह साफ कर सकेंगे कि हरेक भारतीय बच्चे को निःशुल्क, स्वादिष्ट और पौष्टिक गर्म पका हुआ मध्याह्न भोजन मिले, यह सुनिश्चित करने के लिए क्या-क्या किया जा सकता है।

भाग - 1

मध्याह्न भोजन और बाल अधिकार

1. "भोजन के अधिकार" का असल में क्या अर्थ है?

इसका अर्थ है कि हरेक नागरिक को भूख और कुपोषण से बचने का अधिकार है। यह अधिकार राज्य पर जिम्मेदारी डालता है कि प्रत्येक व्यक्ति पोषित हो, भोजन का अधिकार लागू करने के कई तरीके हैं: जिनमें भू-सुधार, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून और बच्चों के लिए पोषण का अधिकार आदि शामिल हैं। ये सारे उपाय एक दूसरे के पूरक हैं। केवल किसी एक तरीके मात्र को अपनाने से भोजन का अधिकार सुनिश्चित नहीं किया जा सकता।

2. शिक्षा का अधिकार क्या है?

6 से 14 वर्ष के हरेक भारतीय बच्चे को "निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा" का हक है। संविधान 21 (अ) के तहत इसे भी एक "बुनियादी अधिकार" बना दिया गया तत्पश्चात 2009 में शिक्षा का अधिकार कानून पारित हुआ अतः राज्य को यह सुनिश्चित करने में सहायक बनाना होगा कि सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा मिले और 6 से 14 वर्ष की उम्र के सभी बच्चे, प्रतिदिन व नियमित रूप से विधालय जाएं।

3. भोजन का अधिकार और शिक्षा का अधिकार सुनिश्चित करने में मध्याह्न भोजन क्या योगदान दे सकता है?

सेहतमंद मध्याह्न भोजन बच्चों की भूख से रक्षा करता है और उन्हें पूरक पोषण उपलब्ध करवाता है। केवल मध्याह्न भोजन की व्यवस्था से भोजन का अधिकार सुनिश्चित नहीं हो सकता, फिर भी यह उस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसी तरह पका हुआ मध्याह्न भोजन भी का शिक्षा का अधिकार लागू करने की दिशा में मददगार है, क्योंकि इससे विधालयों में बच्चों की उपस्थिति नियमित होगी और उनकी सीखने की क्षमता भी बढ़ेगी।

इसके अलावा मध्याह्न भोजन कई दूसरे महत्वपूर्ण उद्देश्यों को पूर्ण करने में मददगार सिद्ध हो सकता है, जैसे— सामाजिक समता का विचार स्थापित करना और विद्यालयी बच्चों को पोषण संबंधी जानकारी देना। बाक्स 1 में मध्याह्न भोजन की विविध भूमिकाओं का खुलासा किया गया है:—

बॉक्स: 1 : निःशुल्क मध्याह्न भोजन से क्या-क्या हांसिल हो सकता है?

अगर आप सोचते हैं कि प्राथमिक शालाओं में मध्याह्न भोजन उपलब्ध करवाना “समय की बर्बादी” है तो फिर से सोचिए। पौष्टिक मध्याह्न भोजन के तमाम फायदे हो सकते हैं।

अगर आप सोचते हैं कि प्राथमिक शालाओं में मध्याह्न भोजन उपलब्ध करवाना “समय की बर्बादी” है तो फिर से सोचिए। पौष्टिक मध्याह्न भोजन के तमाम फायदे हो सकते हैं।

▲ कक्षा में भूख से बचाव : कई बच्चे खाली पेट विद्यालय आ जाते हैं और अकसर कुछ घंटों बाद वे भूखे हो जाते हैं। इससे उनका ध्यान देने की क्षमता कम हो जाती है और सीखने की प्रक्रिया भी धीमी होती है।

▲ बच्चों की स्वास्थ्य वृद्धि में मदद : मध्याह्न भोजन बच्चों के लिए पूरक पोषाहार का नियमित स्रोत बन सकता है और इस तरह उनकी सही बढ़त में मददगार बन सकता है। उदाहरण के लिए अगर मध्याह्न भोजन में लोहे की मात्रा अधिक हो तो बच्चों को खून की कमी (एनीमिया) से बचाया जा सकता है। खून की कमी से बच्चों में कमजोरी बढ़ती है और उनकी सही बढ़त भी नहीं हो पाती।

▲ शैक्षणिक महत्व : सुव्यवस्थित मध्यह्न भोजन का उपयोग बच्चों को अच्छी आदतें सिखाने के लिए किया जा सकता है (जैसे — खाने के पहले और बाद में हाथ धोना)। उन्हें स्वच्छ पानी, साफ—सफाई का महत्व व अन्य बातों की शिक्षा भी दी जा सकती है।

▲ सामाजिक समता की भावना को पुष्ट करना : मध्याह्न भोजन द्वारा विधालयों में समता की भावना का प्रसार किया जा सकता है क्योंकि विभिन्न सामाजिक पृष्ठभूमियों से आने वाले बच्चे एक साथ बैठ, एक साथ भोजन खाते हैं। वर्ग और जाति के बंधनों को तोड़ने से इससे मदद मिलती है। दलित समुदाय के लोगों को रसोइयों के रूप में चुनने से भी जातिगत पूर्वाग्रह तोड़े जा सकते हैं।

▲ लैंगिक समानता को बढ़ावा : विधालयों में आने वाले बच्चों में लड़के-लड़कियों की संख्या में अंतर नजर आता है, अर्थात् लड़कियों की संख्या अमूनन लड़कों से कम होती है। मध्याह्न भोजन प्रारंभ करने पर लड़के-लड़कियों की संख्या में यह अंतर कम हो जाता है। मध्याह्न भोजन महिलाओं के लिए रोजगार का साधन बनते हैं, साथ ही बच्चों को दोपहर में घर खाना उपलब्ध करवाने की जिम्मेदारी से भी स्त्रियां बच जाती हैं। इस अर्थ में स्त्रियों और बालिकाओं का मध्याह्न भोजन में बहुत कुछ दांव पर लगा है।

4. क्या विधालय जाने वाले हरेक बच्चे को पौष्टिक मध्याह्न भोजन पाने का अधिकार है?

हर वह बच्चा जो सरकारी या सरकारी सहायता प्राप्त प्राथमिक विधालय में जाता है उसे पौष्टिक, पका हुआ मध्याह्न भोजन का हक है। इस श्रेणी में वे सभी विधालय और केन्द्र भी आते हैं जो शिक्षा गारंटी योजना और वैकल्पिक नवाचार शिक्षा केन्द्र जैसी योजनाओं के तहत चल रहे हैं और वे मदरसे/मकतब भी शामिल हैं जिन्हें सरकारी सहायता मिलती है।

5. क्या यह एक कानूनी अधिकार है?

जी हाँ! यह एक कानूनी अधिकार है। क्योंकि यह हक सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से प्राप्त हुआ है। यह आदेश 28 नवंबर 2001 को

1 दरअसल यह एक "आंतरिक आदेश" था, जो अब पूरी तरह लागू माना जायेगा, क्योंकि न्यायालय ने अपने अंतिम फैसले में इस आदेश में किसी प्रकार की कटौती नहीं की है।

निकाला गया था और सभी सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों को निर्देश देता है कि बच्चों को पका हुआ मध्याह्न भोजन उपलब्ध करवाएं हाल ही में पारित राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून भी मध्याह्न भोजन को कानूनी हक प्रदान करता है। अतः बच्चे (या उनके माता-पिता) हक से मध्याह्न भोजन की मांग कर सकते हैं और जरूरत पड़ने पर इसे अदालत की मदद से व खाद्य सुरक्षा कानून में दी गयी शिकायत निवारण प्रक्रिया के माध्यम से लागू करवा सकते हैं।

6. जो बच्चे निजी विधालयों में पढ़ते हैं क्या उन्हें भी मध्याह्न भोजन का हक है?

नहीं! सर्वोच्च न्यायालय के आदेश और खाद्य सुरक्षा कानून के प्रावधान निजी विधालयों पर लागू नहीं हैं।

7. छः साल से कम उम्र के बच्चे जो विधालय जाने की उम्र से छोटे हैं उनके बारे में क्या होगा?

इन बच्चों को समेकित बाल विकास सेवाएं (आई.सी.डी.एस.) के तहत पोषाहार उपलब्ध करवाने की व्यवस्था की गई है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सरकार को बार-बार निर्देश देने के बाद भी आई.सी.डी.एस का लाभ छह वर्ष तक के सभी बच्चों को उपलब्ध नहीं है। एक तिहाई से अधिक बच्चे अभी भी इस कार्यक्रम के लाभ से वंचित हैं।

8. उन बच्चों का क्या होगा जो विधालय जाते ही नहीं?

विधालय जाना हरेक बालक-बालिका का बुनियादी अधिकार है। आदर्श स्थिति तो वही है जहाँ हरेक बच्चा विधालय जाता हो, ऐसे में सभी बच्चों को मध्याह्न भोजन भी मिल सकेगा, परन्तु जमीनी वास्तविकता यह है कि अभी भी भारत के 3.5 प्रतिशत बच्चे विधालय नहीं जाते। सैद्धान्तिक रूप से तो इन बच्चों को भी मध्याह्न भोजन मिलना चाहिए।

9. सर्वोच्च न्यायालय इस मामले में कैसे जुड़ा?

अप्रैल 2001 में पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज (पी.यू.सी.एल.) नामक एक मानवाधिकार संगठन ने “भोजन के अधिकार” संबंधी एक याचिका सर्वोच्च न्यायालय में लगाई। इन दिनों भारतीय खाद्य निगम (फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया) के गोदाम अनाज से अटे पड़े थे। अनाज की इतनी बोरियां थी कि अगर उन्हें एक पर एक रखा जाता तो उनकी ऊंचाई चोंद से भी अधिक दूरी तक जाती। इधर, देश भर के लाखों लोग भूख और कुपोषण झेल रहे हैं। पी.यू.सी.एल. ने अपनी याचिका में कहा कि गोदामों में भरे इस अनाज को काम के बदले अनाज, सार्वजनिक वितरण प्रणाली और विधालयों में मध्याह्न भोजन जैसे कार्यक्रमों में काम लेना चाहिए ताकि आम जनता को भुखमरी से बचाया जा सके।

पी.यू.सी.एल. की इस याचिका ने सर्वोच्च अदालत में भोजन के अधिकार विषय पर एक व्यापक जनहित याचिका को जन्म दिया जो ‘पी.यू.सी.एल. बनाम भारतीय संघ व अन्य’ (जनहित याचिका (दीवानी) वर्ष 2001, संख्या 196) के नाम से जानी जाती है³। यह मामला पी.यू.सी.एल. ने भूखे बच्चों सहित सभी वंचितों की और से भोजन के अधिकार के संदर्भ में दायर किया था।

10. सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के पहले क्या स्थिति थी?

कुछ राज्यों में, जैसे तमिलनाडु (तमिलनाडु के लिए बॉक्स 2 देखें) और गुजरात में, सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के पहले ही पका हुआ मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराया जा रहा था। अन्य राज्यों में सूखा राशन (अमूमन 3 किलो अनाज प्रति बालक, प्रति माह उपलब्ध करवाने की व्यवस्था थी। यह अनाज 1995 में प्रारम्भ किए गया राष्ट्रीय प्राथमिक शिक्षा संबल योजना में उपलब्ध करवाया जा रहा था। इस कार्यक्रम में भी यह प्रावधान था कि राज्य सरकारें क्रमशः पका हुआ मध्याह्न भोजन

3 जनहित याचिका एक ऐसा अदालती मामला होता है जो समाज के एक समूचे भाग के लिए एक याचिकाकर्ता द्वारा दर्ज किया जाता है। यहां यह जरूरी नहीं होता कि याचिकाकर्ता स्वयं भी समाज के उस भाग का ही हिस्सा हो।

उपलब्ध करवाएंगी, परन्तु अधिकांश राज्य राशन उपलब्ध करवाने से आगे तब तक नहीं बढ़े जब तक सर्वोच्च न्यायालय ने हस्तक्षेप कर ऐसा करने का आदेश नहीं दिया

बॉक्स : 2 : मध्याह्न भोजन : तमिलनाडु ने रास्ता दिखाया

तमिलनाडु पहला भारतीय राज्य है जिसने प्राथमिक विद्यालयों में सार्वभौमिक मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराया। 1923 में मद्रास में यह पथप्रदर्शक योजना पेश की गई। बाद में 1960 में जब कामराज मुख्यमंत्री थे व्यापक स्तर पर मध्याह्न भोजन के प्रावधान किए गए। 1982 में मुख्यमंत्री एम.जी.

अगर आपकी रूची इस मुद्दे में है, तो आप "समेकित बाल विकास सेवाएं: एक प्रवेशिका" शीर्षक की पुस्तक देख सकते हैं।

जनहित याचिका एक ऐसा अदालती मामला होता है जो समाज के एक समूचे भाग के लिए एक याचिकाकर्ता द्वारा दर्ज किया जाता है। यहां यह जरूरी नहीं होता कि याचिकाकर्ता स्वयं भी समाज के उस भाग का ही हिस्सा हो।

रामचन्द्रन (एम.जी.आर.) ने सभी प्राथमिक विद्यालयों में मध्याह्न भोजन का विस्तार किया। ऐसा कहा जाता है कि एक छोटे बच्चों से मिलने के बाद कामराज को मध्याह्न भोजन की योजना का विचार आया। यह बच्चा गाय-भैसों की देखभाल करता था जब मुख्यमंत्री कामराज ने उस बच्चे से पूछा कि तुम आज विद्यालय क्यों नहीं गए तो बच्चे ने जवाब दिया कि यदि मैं विद्यालय जाऊं तो क्या तुम खाना दोगे। मैं तभी खा सकता हूँ जब कमाऊं। बच्चे के इस जवाब ने मध्याह्न भोजन के विचार में जान डाल दी। एम.जी. रामचन्द्रन ने स्वयं भी बचपन में भूख झेली थी, अतः बच्चों को भूख से बचाना उनका निजी मिशन बना।

शुरुआत में एम.जी.आर. के इस साहसिक कदम का काफी विरोध का सामना करना पड़ा। कई विधायकों, सरकारी अधिकारियों और पत्रकारों ने इस योजना को खारिज करते हुए कहा कि यह जनता के पैसे की बर्बादी है। फिर भी बाद में मध्याह्न भोजन योजना काफी लोकप्रिय बनी और समय के साथ लोगो ने इस योजना की स्वीकार्यता बढ़ती गई। यह कोई सरकारी मुद्दा नहीं था फिर भी सरकार इसको लेकर संकल्पबद्ध भी। मध्याह्न भोजन तमिलनाडु के विधालयों में आज दिनचर्या का एक प्रमुख भाग बन गया है। प्रत्येक प्राथमिक विधालय में तीन कर्मचारी नियुक्त हैं। एक रसोईया, एक सहायक और एक प्रबन्धक हैं जो रख रखाव और हिसाब किताब रखता है। क्योंकि यहां पर पर्याप्त कर्मचारी और आधारभूत ढांचा उपलब्ध है, कक्षा की गतिविधियां भी बिना किसी रूकावट के चलती है।

अभी हाल में ही तमिलनाडु में लोकहित योजनाओं की शोध रिपोर्ट जो टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार (21 मई 2003) में छपी थी में मध्याह्न भोजन योजना के बारे में निम्नलिखितिम पंक्तियां कही गईं।

“प्राथमिक विधालयों में मध्याह्न भोजन योजना का निरीक्षण करना रोमांचक था। हर जगह समय पर भोजन परोसना एक सुचारू दिनचर्या के अनुसार था। यह स्वाभाविक ही था कि बच्चे इस पूरी प्रक्रिया का आनंद ले रहे थे। व्यवस्था के प्रति शिक्षकों का भी सकारात्मक रवैया था। यहां हमें पेट दर्द या कक्षा में व्यवधान जैसी गड़बड़ियों का कोई संकेत नहीं मिला।

11. पका हुआ खाना उपलब्ध करवाना केवल राशन देने से क्यों बेहतर है?

पका भोजन कई तरह से अधिक फायदेमंद है। यह सच है कि अनाज उपलब्ध करवाने से विधालयों के नामांकन में बढ़ोतरी होती है, परन्तु नियमित उपस्थिति इससे सुनिश्चित नहीं की जा सकती है। इस अर्थ में पका हुआ मध्याह्न भोजन ही अधिक प्रभावी सिद्ध होता है। इसके कारण बच्चे स्वयं विद्यालय आते हैं और उन्हें हर दिन माता-पिता द्वारा समझाने बुझाने की दरकार नहीं पडती। साथ ही मध्याह्न भोजन देने से

खाने की घंटी के बाद भी बच्चे विद्यालय में टिके रहते हैं और दोपहर बाद की कक्षाएं लगाना अधिक आसान होता है। इसके विपरीत अगर बच्चे खाना खाने के लिए घर जाते हैं तो वे हमेशा लौटकर वापस नहीं आते।

इसके अलावा मध्याह्न भोजन "सामाजीकरण" की भूमिकाएं भी निभाता है जिन पर पहले चर्चा की जा चुकी है (देखें बॉक्स 1)। यह सब मात्र अनाज उपलब्ध करवाने से संभव नहीं होता। साथ ही, मध्याह्न भोजन "कक्षा में भूखे" रहने की समस्या को खत्म करता है, जिसे सूखा राशन नहीं मिल सकता।

12. सामान्य जानकारी के लिए यह भी बताएं कि 28 नवंबर 2001 के आदेशों में और क्या-क्या कहा गया?

ये आदेश भोजन से संबंधित आठ "योजनाओं" के विषय में हैं, ये योजनाएं हैं : मध्याह्न भोजन, समेकित बाल विकास सेवाएं, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, अन्त्योदय अन्न योजना, अन्नपूर्णा, राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, राष्ट्रीय मातृत्व सहायता योजना और राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना। 28 नवंबर 2001 के आदेशों द्वारा जो मूल बदलाव किया गया वह यह था कि इन योजनाओं से दिए जा रहे "लाभ" या "सहायता" को हकदारियों में बदल दिया गया। इसका मतलब यह हुआ कि अगर किसी अन्त्योदय कार्डधारी महिला को 35 किलो अनाज का अपना पूरा कोटा (रु. 3 प्रति किलो की दर से चावल रु. 2 प्रति किलो की दर से) उपलब्ध नहीं करवाया जा रहा हो तो वह जरूरत पड़ने पर अदालत में जाकर भी इस हक का दावा कर सकती है।

13. मध्याह्न भोजन योजना संबंधी आदेशों का क्रियान्वयन कैसे किया जाता है?

वैसे तो आदेशों के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी राज्य सरकारों पर है। फिर भी केन्द्र सरकार राष्ट्रीय प्राथमिक शिक्षा संबल योजना के पोषाहार सहयोग कार्यक्रम के तहत कई प्रकार से वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाती है। (विस्तृत जानकारी के लिए नीचे देखें)

14. क्या राज्य सरकारों ने सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों को लागू किया है?

शुरुआत में अधिकांश राज्य सरकारों ने यह दावा किया था कि उनके पास प्राथमिक विधालयों में मध्याह्न भोजन उपलब्ध करवाने के लिए “कोई पैसा नहीं” है। इस पर सर्वोच्च न्यायालय ने सख्ती बरतते हुए उन्हें कहा कि वे “अन्य स्थानों (व्यय) में कटौती करें। इस बीच देश भर में मध्याह्न भोजन की मांग के अभियान शुरू हो गए। तब मध्याह्न भोजन की योजना क्रमशः एक के बाद एक राज्य में प्रारंभ की गई और आज लगभग सभी राज्यों में चलाई जा रही हैं। फिर भी यह याद रखा जाना चाहिए कि इसका क्रियान्वयन 28 नवम्बर 2001 के अंतरिम आदेशों के बाद छह माह की अवधि में हो जाना चाहिए था परन्तु जमीनी स्तर पर इसे लागू करने में दरअसल करीब चार साल लग गए। 2001 के प्रारंभिक आदेश के बाद भोजन की गुणवत्ता, उस पर किया जाने वाला व्यय, ढांचों का प्रावधान व अन्य मसलों पर सर्वोच्च न्यायालय ने जो आदेश दिए उनका क्रियान्वयन एक सीमा तक सभी राज्यों में हो गया है लेकिन अभी भी मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता और निरन्तरता की लड़ाई खत्म नहीं हुई, वह जारी है।

बॉक्स : 3 :	मध्याह्न भोजन के विषय में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश
▲	28 नवम्बर 2001 के ऐतिहासिक आदेश के बाद भी सर्वोच्च न्यायालय समय-समय पर मध्याह्न भोजन के विषय पर “अंतरिम आदेश” जारी करता रहा है। इसमें से कुछ प्रमुख आदेशों का सार संक्षेप नीचे दिया जा रहा है। इनके स्रोतों का परिशिष्ट में उल्लेख किया गया है।
▲	बुनियादी हकदारी : “प्रत्येक सरकारी व सरकारी सहायता प्राप्त प्राथमिक विधालय में आने वाले बालक बालिका को विधालय में हर दिन पका हुआ मध्याह्न भोजन दिया जाना चाहिए : भोजन में कम से कम 300 कैलोरी होनी चाहिए और 8 से 12 ग्राम प्रोटीन भी प्रतिदिन शामिल किया जाना चाहिए : यह वर्ष में कम से कम 200 दिन अवश्य उपलब्ध करवाना चाहिए।” 28 नवम्बर 2001 का आदेश

▲ निःशुल्क : “भोजन पकाने पर होने वाला व्यय किसी भी सूरत में बच्चों या उनके माता-पिता से नहीं वसूला जाना चाहिए।” 20 अप्रैल 2004 का आदेश।

▲ केंद्रीय सहायता: “खाद्यान्न को पका कर भोजन बनाने में आने वाले खर्च के लिए केन्द्र सरकार वित्त आवंटित करे।” 20 अप्रैल 2004 का आदेश।

▲ रसोई शोड: “केन्द्र सरकार रसोई शोड बनाने के लिए प्रावधान करे। 20 अप्रैल 2004 का आदेश।

▲ दलित वर्ग से रसोइयों को प्राथमिकता: “ भोजन पकाने व पकाने में सहायता करने वाले लोगों की नियुक्ति करते समय दलित वर्ग, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लोगों को प्राथमिकता दी जाए।” 20 अप्रैल 2004 का आदेश।

▲ गुणवत्ता संबंधी सावधानियां: “बेहतर व्यवस्थाएं करने की, बेहतर सुविधाएं मुहैया करवाने की (जैसे सुरक्षित पेयजल आदि) कोशिश की जाए, कार्यक्रम की कड़ी देखरेख हो (नियमित निरीक्षण आदि) तथा गुणवत्ता संबंधी अन्य सावधानियां बरती जाएं, साथ ही भोजन में जो कुछ पकाया जा रहा है उसे भी सुधारने की चेष्टा हो ताकि प्राथमिक शालाओं के बच्चों को पौष्टिक भोजन दिया जा सके।” 20 अप्रैल 2004 का आदेश।

▲ गर्मी की छुट्टियाँ : “सूखा पीड़ित क्षेत्रों में ग्रीष्मावकाश के दौरान भी मध्याह्न भोजन उपलब्ध करवाया जाए।” 20 अप्रैल 2004 का आदेश।

▲ गुणवत्ता का साझा निरीक्षण: "हम भारतीय संघ तथा भारतीय खाद्य निगम को निदेशित करते हैं कि वे यह सुनिश्चित करें कि इस योजना के लिए औसत गुणवत्ता का अनाज समयानुसार उपलब्ध करवाया जाए। सभी राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों तथा भारतीय खाद्य निगम को निदेशित किया जाता है कि वे खाद्यान्नों का साझा निरीक्षण करें। अगर निरीक्षण के दौरान यह पाया जाए कि खाद्यान्न सही औसत दर्जे का नहीं है तो भारतीय खाद्य निगम उसे वितरण के पहले ही बदले।" 28 मई 2001 का आदेश।

अगर आपकी रूचि इस जनहित याचिका में या, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी किए गए "अंतरिम आदेशों" में हो तो पुस्तक के अंत में परिशिष्ट में दिए गए स्त्रोंतो को देखें। इन आदेशों में से कुछ के दूरगामी निहितार्थ भी हैं, इसलिए उन्हें ध्यान से देखना अच्छा होगा।

भाग - 2

अधिकारिक मानक और दिशा निर्देश

15. मध्याह्न भोजन के लिए पैसा कहां से आता है?

मध्याह्न भोजन के लिए पैसा, केन्द्र तथा राज्य सरकारें साझा रूप से उपलब्ध करवाती हैं। प्रत्येक राज्य की अपनी मध्याह्न भोजन योजना है।

16. केन्द्र व राज्य सरकारों का क्या योगदान है?

केन्द्र सरकार इस योजना के लिए मुफ्त अनाज उपलब्ध कराती है (100 व 150 ग्राम प्रति दिन प्रति बच्चा प्राथमिक व उच्च प्राथमिक के बच्चों के लिये)। एफ.सी.आई. गोदाम से विधालय तक के लिए किराये के लिए (75 पैसे प्रति किंवितल) व उस अनाज को पकाने की लागत के रूप में प्रति बच्चा के आधार पर देती है। (बॉक्स 4 में केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाली सहायता का ब्यौरा दिया गया है।)

बॉक्स : 4 - (01 अप्रैल 2018 से लागू)					
चरण	संशोधित खर्चा प्रति बच्चा	केन्द्र-राज्य का हिसा			
		उत्तर-पूर्वी राज्यों के अतिरिक्त (60 : 40)		उत्तर-पूर्वी राज्य (90:10)	
		रूपयों में	केन्द्र	राज्य	केन्द्र
प्राथमिक	4.35	2.61	1.74	3.91	0.44
उच्च प्राथमिक	6.51	3.91	2.60	5.86	0.65

टिप्पणी :- उपरोक्त खर्चे न्यूनतम मापदण्डों की ओर इंगित करता है। राज्य/के प्रति अधिक खर्चा कर सकते हैं जैसे कि कुछ राज्य पहले से करते आ रहे हैं।

गैस पर अनुदान हटा लिए जाने के कारण हो रहा अतिरिक्त भार केन्द्र-राज्य को हिस्से के अनुरूप सरकारें वहन करेगी।

उपरोक्त खर्चा मात्र भोजन पकाने के सामान हेतु है जिसमें दाल,

तेल, सब्जी, मसाले एवं इंधन शामिल है।

अनाज मुफ्त में विधालय तक पहुंचाया जाना है जिस हेतु 75 पै. प्रति क्विन्टल का खर्चा केन्द्र द्वारा राज्यों को देय होगा — एफ.सी.आई. गोदाम से विधालय तक पहुंचाने के लिए।

खाना पकाने हेतु केन्द्र सरकार रसोइयों का खर्चा 1500/- प्रति माह की दर पर देगी। 25 बच्चों तक एक, 26 — 100 तक दो व अतिरिक्त हर 100 बच्चों पर एक रसोइये के अनुपात में यह खर्चा भी उसी अनुपात में राज्य—केन्द्र वहन करेगे।

बाद में महंगाई के अनुपात में इसे बढ़ाया भी जाना चाहिए। वित्तीय योगदान के अलावा यह भी महत्वपूर्ण होगा कि राज्य सरकारें मध्याह्न भोजन योजना को अपनी ही योजना माने और इसे पूरा समर्थन दे। राज्य सरकारों के ऐसे जुड़ाव व राजनैतिक समर्थन के कारण ही मध्याह्न भोजन योजना कुछ राज्यों में दूसरे राज्यों की तुलना में कहीं ज्यादा सफल रही है।

17. क्या मध्याह्न भोजन योजना को बेहतर बनाने के लिए अन्य सरकारी योजनाओं से संसाधन जुटाए जा सकते हैं?

जी हां! अधिकांश राज्यों में मध्याह्न भोजन योजना के लिए कुछ भागों के लिए दूसरी योजनाओं से वित्त निकाला जा सकता है। उदाहरण के लिए ग्रामीण इलाकों में रसोई पकाने के श्रेष्ठ महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून के तहत बनवाए जा सकते हैं। पेयजल की व्यवस्था त्वरित ग्रामीण जल वितरण कार्यक्रम (ए.आर.डब्ल्यू.एस.पी.) के तहत की जा सकती है और खाना पकाने के बर्तन सर्व शिक्षा अभियान को आवंटित राशि से खरीदे जा सकते हैं। इसी प्रकार की सुविधाएं शहरी इलाकों में भी राष्ट्रीय बस्ती विकास कार्यक्रम या स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार कार्यक्रम जैसी योजनाओं के तहत उपलब्ध हैं।

18. रसोईये व सहायकों की नियुक्ति कैसे की जानी चाहिए?

रसोई पकाने वाले लोगों और उनके सहायकों को समुदाय की पूरी भागीदारी से नियुक्त करना चाहिए। माता—पिता व शेष ग्रामीण लोग,

विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्य चुने जैसा की शिक्षा के अधिकार कानून में प्रावधान है। सर्वोच्च न्यायालय के 20 अप्रैल 2004 के आदेश के अनुसार इन नियुक्तियों में “दलितों, अनुसूचित जाति तथा जन जाति” के लोगों को प्राथमिकता देनी चाहिए।

19. क्या मध्याह्न भोजन छुट्टियों के दौरान भी दिया जाता है?

सर्वोच्च न्यायालय का आदेश ऐसा करने पर बाध्य तो नहीं करता लेकिन ऐसा किया जा सके तो अच्छा है। कुछ राज्यों में, खासतौर से तमिलनाडु में विधायी बच्चों को छुट्टियों के दौरान विधायक बंद हो जाने पर भी पका हुआ भोजन मिलता है। गौर करें की 20 अप्रैल 2004 के अपने आदेश में सर्वोच्च न्यायालय ने साफ कहा है कि “सूखाग्रस्त इलाको” में छुट्टियों के दौरान भी मध्याह्न भोजन उपलब्ध करवाना अनिवार्य है। (देखें बॉक्स 3)

20. क्या बच्चों और उनके माता-पिता को भोजन व्यय के नाम पर कुछ योगदान देना होगा?

नहीं! सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि किसी भी हालत में भोजन पकाने का कोई भी खर्च बच्चों या उनके माता-पिता से नहीं वसूला जाएगा। कई बार प्राथमिक विधायक सामुदायिक चन्दा एकत्रित करते हैं यह अपने आप में गलत नहीं है। परन्तु ऐसे योगदान को कभी भी अनिवार्य नहीं बनाना चाहिए क्योंकि प्रत्येक बच्चे को निःशुल्क मध्याह्न भोजन का हक है।

भाग : 3

मध्याह्न भोजन का व्यवहारिक पक्ष

21. क्या विधालयों में खाना पकाना व बांटने की प्रक्रिया कक्षा में गतिविधियों के आड़े नहीं आती?

यह चिन्ता उचित है। परन्तु अगर सही व्यवस्था में बैठा ली जाए तो कक्षा में सीखने-सिखाने की गतिविधियों में कोई बाधा नहीं आनी चाहिए। ऐसा करने के लिए अच्छी ढांचागत व्यवस्थाएं करनी होंगी। यह जरूरी होगा कि खाना पकाने वाले व्यक्ति, सहायक, शिक्षक व समुदाय के कामों का स्पष्ट विभाजन भी किया जाए। प्रत्येक की भूमिका कार्यक्रम को बिना बाधा व खतरे के सुचारु तरीके से चलाए जाने में महत्वपूर्ण है।

रसोईया व सहायक

खाना बनाने वाली/वाला और उसके सहायक की नियुक्ति ऐसे की जाए कि वे भोजन बनाने में बच्चों या शिक्षकों की कोई मदद न लें। रसोइए की यह जिम्मेदारी है कि वह प्रतिदिन बच्चों को समय पर स्वादिष्ट और पौष्टिक भोजन उपलब्ध करवाएं। सहायक को खाना पकाने में रसोइए की मदद करनी होगी और साफ-सफाई रखनी होगी, ताकि खाना पूरी सफाई के साथ पकाया जाए। साथ ही पकाने व परोसने के बर्तनों को भी अच्छी तरह से मांजना-धोना होगा। जब तक खाना पक नहीं जाता शिक्षक की कोई आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए और उसे उस दौरान समयानुसार अपनी कक्षाएं चलानी चाहिए।

शिक्षक की जिम्मेदारी

बच्चों को खाना खिलाने से पहले शिक्षक को उसे "चखना" चाहिए ताकि यह पता चल सके कि उसमें कोई बासी चीजें तो नहीं डाल दी गई हैं और यह भी सुनिश्चित किया जा सके कि भोजन पौष्टिक है या नहीं (नमक व चावल खिलाना काफी नहीं है।) शिक्षक को अपने निरीक्षण में बच्चों के हाथ धुलवाने चाहिए। इसी दौरान उनके नाखून व साधारण साफ-सफाई पर भी गौर किया जा सकता है। शिक्षक को खिलाने और

बच्चों द्वारा खाने के समय भी उपस्थित रहना चाहिए ताकि सब कुछ व्यवस्थित तरीके से और पूरी सफाई से हो। मध्याह्न भोजन के समय का उपयोग शिक्षक कई शैक्षणिक गतिविधियों के लिए भी कर सकते हैं : वे बच्चों को इस दौरान खाना खाने की अच्छी आदतें सिखा सकते हैं, उन्हें भोजन पकाने वाले और सहायक को खाने से पहले धन्यवाद कहना सिखा सकते हैं, पौष्टिक आहार के बारे में बता सकते हैं, आदि-आदि।

कुछ राज्यों में शिक्षकों को मध्याह्न भोजन के प्रबंधन की जिम्मेदारीयां भी सौंपी गई हैं जैसे हिसाब रखना, राशन की दुकान से अनाज लाने की व्यवस्था करना आदि। इससे उनका ध्यान कक्षाओं की गतिविधियों से बंट सकता है। कुछ राज्यों में प्रत्येक विधालय में मध्याह्न भोजन को चलाने के लिए "प्रबंधक" की व्यवस्था की गई है। प्रबंधक को पूरी जिम्मेदारी सौंपने पर शिक्षक केवल पढ़ाने पर ध्यान दे सकते हैं। ऐसी व्यवस्था उचित रहती है क्योंकि इससे कक्षा की गतिविधियों में कोई व्यवधान नहीं आता।

समुदाय की भागीदारी

ग्राम पंचायतें और विधालय प्रबन्धन समिति मध्याह्न भोजन योजना को सुव्यवस्थित रूप से चलाने में सक्रिय भूमिका निभा सकती है। उपरोक्त संस्थाओं को खासतौर से ग्राम पंचायतों की, मध्याह्न भोजन योजना में अक्सर कुछ औपचारिक भूमिकाएं भी रखी जाती है। उदाहरण के लिए कुछ राज्यों में यह ग्राम पंचायतों की जिम्मेदारी होती है कि वे खाना पकाने में काम आने वाली वस्तुएं तथा ईंधन आदि खरीदने की व्यवस्था करें। कई राज्यों में मध्याह्न भोजन योजना के प्रबंधन में महिला मण्डलों और स्वयं सहायता समूहों को सक्रिय रूप से शामिल किया गया है। इन समूहों के माध्यम से समुदाय की महिलाएं विधालयों के सीधे संपर्क में आती हैं। उदाहरण के लिए हिमाचल प्रदेश में खाना पकाने की जिम्मेदारी कई बार महिला मण्डलों को दी गई है।

इन औपचारिक जिम्मेदारियों के अलावा भी समुदाय को सक्रिय भागीदारी कई तरह से मददगार सिद्ध हो सकती है। उदाहरण के बतौर समुदाय के सदस्य अनौपचारिक रूप से मध्याह्न भोजन की 'देख-रेख' कर सकते हैं और किसी भी अनियमितता की सूचना ग्राम पंचायत या

अन्य संबंधित अधिकारी को दे सकते हैं। खाना पकाने वालों व सहायकों की नियुक्ति के समय भी उनकी सलाह ली जानी चाहिए। बर्तनों, ईंधन, सब्जियों, दूध-दही-छाछ के रूप में समुदाय से स्वैच्छिक योगदान को प्रोत्साहित करना चाहिए। मध्याह्न भोजन को और बेहतर बनाने के लिए समुदाय विधालय में, सब्जियों का बाग लगाने में भी मदद कर सकता है।

संक्षेप में कह सकते हैं कि मध्याह्न भोजन योजना के लिए सही ढांचे की और उपलब्ध मानव संसाधनों का प्रभावी उपयोग करने की आवश्यकता होती है अगर इन बातों को सुनिश्चित कर लिया जाए तो मध्याह्न भोजन कक्षा की गतिविधियों में कोई बाधा नहीं डालेगा।

22. एक प्रभावशाली मध्याह्न भोजन योजना के लिए कौन से बुनियादी ढांचे की जरूरत होती है?

रसोईघर व गोदाम की सुविधा : खाना पकाने के लिए अगर रसोईघर की अलग से व्यवस्था नहीं होगी तो सीखने-सीखाने की प्रक्रिया बाधित होगी। सुरक्षा की दृष्टि से भी रसोईघर की जगह अलग होनी चाहिए अन्यथा आग लगने, दुर्घटना घटने या खाना दुषित होने का डर भी रहता है। धुएँ से बचाव के पर्याप्त उपाय भी किए जाने चाहिए – जैसे चिमनी, धुआँ रहित चूल्हे, एकजॉस्ट पंखे आदि यंत्र। गोदाम की सही व्यवस्था भी जरूरी है ताकि अनाज को चूहों व फफूंद आदि से बचाया जा सके। आदर्श स्थितियों में यह एक अलग ताला बंद कक्ष होना चाहिए। खाद्यान्न को बोरियों के बदले बंद डिब्बों में ही रखना ज्यादा उचित होगा।

साफ पानी : विधालय परिसर में साफ पानी का स्रोत उपलब्ध होना चाहिए। इससे सफाई और आसानी से भोजन पकाने में मदद मिलेगी। पीने के लिए और धोने-पौछने व साफ-सफाई के लिए भी साफ पानी की जरूरत होती है। बच्चों को यह सिखाना भी जरूरी होता है कि वे खाने के पहले और बाद में हाथ धोएं। यह भी तभी किया जा सकेगा जब विधालय में साफ पानी उपलब्ध हो। साथ ही ऐसे में खाना पकाने वालों की आस-पास के स्रोत से पानी ढोकर लाने की मेहनत भी बचेगी। कई स्थानों पर पानी के लिए कुछ किलोमीटर भी जाना पड़ता है।

पकाने के बर्तन एवं दूसरे उपकरण : पूरी सफाई से और बिना झंझट के खाना पकाने के लिए सुविधाजनक चूल्हे से लेकर कई दूसरे उपकरणों की जरूरत पड़ती है। कई रसोईयों की यह आम शिकायत है कि साफ इंधन व अपर्याप्त वायु-संचार से रसोई में घुआं भर जाता है जिससे आंखों और सांस की परेशानिया होती है। चपटी पैंदे वाले बड़े भगोने होने चाहिए ताकि बड़ी मात्रा में खाना पकाया जा सके। इसके अलावा लंबे हत्थे वाली कलछियां होनी चाहिए, ताकि खाने को हिलाया व परोसा जा सके, मसाले, अनाज आदि नापने-तोलने के औजार, धारदार छुरियां, काटने के फट्टे, अच्छी तरह से बंद होने वाला मसालेदान आदि जरूरी है।

ईंधन : राज्यों से अलग-अलग तरह के ईंधन की व्यवस्था है। जैसे कहीं विधालयों को गैस के चूल्हे दिए जा सकते हैं तो कहीं स्थानीय रूप से उपलब्ध लकड़ी खरीदी जा सकती है। अक्सर ईंधन की माकूल व्यवस्था नहीं की जाती जिससे मध्याह्न भोजन पकाने व खिलाने में परेशानी आती है। उदाहरण झारखण्ड के अनेक विधालयों में अध्यापकों को खाना पकाने हेतु लकड़ी का इंतजाम करना होता है। अगली बार जब आप स्थानीय प्राथमिक विधालय जाएं, तो क्यों न यह देखें कि वहां। ईंधन की कैसे व्यवस्था है।

23. मध्याह्न भोजन तैयार करते समय सुरक्षा और स्वच्छता संबंधी कौन-कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए?

मध्याह्न भोजन कार्यक्रम की सफलता के लिए सुरक्षा और साफ-सफाई महत्वपूर्ण है। साफ-सफाई बेहद महत्वपूर्ण है। सफाई का पूरा ख्याल न रखा जाए तो खाना बिगड़ सकता है और खराब खाने से बच्चे बीमार पड़ सकते हैं। इससे शिक्षक और माता-पिता भी इस कार्यक्रम का विरोध करने की स्थिति में आ सकते हैं। इस स्थिति से बचाव करना मुश्किल काम नहीं है परन्तु इसके लिए सुरक्षा और स्वच्छता पर हमेशा कड़ी नजर रखनी होगी। खाना पकाने वालों और उनके सहायकों की इस संदर्भ में खास जिम्मेदारी है। जो भी व्यक्ति भोजन पकाने की प्रक्रिया से जुड़े हैं उन्हें अपनी निजी साफ-सफाई और सुरक्षा सावधानियों पर विशेष

ध्यान देना चाहिए। सुरक्षा और स्वच्छता संबंधी दस सूत्र —

बॉक्स : 5 : सुरक्षा व सफाई संबंधी दस सूत्र

1. रसोईघर : खाना रसोईघर में पकना चाहिए, जो कक्षाओं से सुरक्षित दूरी पर बना हो। रसोई हमेशा साफ होनी चाहिए। खाना पकाने के लिए ऊंचा प्लेटफार्म, उचित प्रकाश, हवा, पानी के निकास की और कचरा फेंकने की उचित व्यवस्थाएं की जानी चाहिए।

2. सामग्री का गोदाम : पकाने में काम में आनेवाली सभी वस्तुओं को सही डिब्बों में रखा जाना चाहिए ताकि वे सूखी रहें व इसमें कीड़े न लगे।

3. ईंधन का गोदाम : ईंधन को सुरक्षित व रसोई से अलग रखा जाना चाहिए ताकि आग लगने के खतरों से बचा जा सके।

4. धुआ : जहां तक सम्भव हो 'धुआ रहित चूल्हों' का प्रयोग करना चाहिए। साधारण चूल्हों से निकलने वाला धुआ फेंफड़ों और आंखों को नुकसान पहुंचाता है।

5. स्वच्छता : जो भी लोग मध्याह्न भोजन की सामग्री देख-रेख में या भोजन पकाने और खिलाने से जुड़े हों, उन्हें अपनी निजी स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए (जैसे, नियमित रूप से नाखून कटना, रसोईघर में आने पर बालों को बांधे रखना, खाना पकाने व खिलाने के पहले हाथ-पैर साबुन से अच्छी तरह साफ करना।)

6. खाने की गुणवत्ता : पकाने के काम में आने वाली सभी चीजें (जैसे अनाज, दालें, सब्जियां, तेल, मसाले आदि) मिलावट व कीड़े, फफूंद रहित आदि होनी चाहिए और उनका उपयोग अच्छी तरह साफ करने, धोने आदि के बाद ही करना चाहिए।

7. पका हुआ खाना : खाना पकाने के बाद जब खाने के लिए तैयार हो, तब उसे ढक कर और कीड़ों से बचाकर रखना चाहिए।

8. स्वास्थ्य जांच : इस बात का खास ध्यान रखा जाना चाहिए कि खाना बनाने वाले व उनके सहायक किसी प्रकार के संक्रामक रोग से पीड़ित तो नहीं हैं। क्योंकि वे भोजन के साथ संक्रमण भी फैला सकते हैं। उनकी नियमित स्वास्थ्य जांच होनी चाहिए।

9. बर्तनों की सफाई : पकाने और परोसने वाले सभी बर्तनों को हर दिन खाना पकाने के और परोसने वाले सभी बर्तनों को हर दिन खाना पकाने के बाद अच्छी तरह मांज धो और सुखा कर रखना चाहिए।

10. कचरा का निपटारा : कचरे के निपटारे की उचित व्यवस्था की जानी चाहिए। उसे यूं ही खुले में नहीं फेंकना चाहिए।

भाग : 4

मध्याह्न भोजन के पोषण संबंधी पक्ष

24. बच्चों के पोषण स्तर में मध्याह्न भोजन सच में कोई बदलाव कैसे कर सकता है?

यह दावा तो नहीं किया जा सकता कि मध्याह्न भोजन बच्चों की सभी दैनिक पोषण आवश्यकताओं को पूरी कर सकता है। फिर भी यह हमें देश के तमाम बच्चों की पोषण स्थिति में सुधार लाने की एक अवसर देता है। पर इसका मतलब यह भी है कि हमें सुनिश्चित करना होगा कि जो आवश्यक पोषण तत्व हैं (देखें बॉक्स 6) उन्हें मध्याह्न भोजना में शामिल किया जाए।



खाने की पौष्टिकता को बढ़ाने के लिए छोटे-छोटे उपाय किए जा सकते हैं जिसमें बिना खर्च किए साधारण चीजों को अधिक पौष्टिक बनाया जा सके। ये प्रक्रियाएं हैं – अंकुरित करना, खमीर उठाना, लोहे के बर्तनों में खाना पकाना, हरी पत्तेदार सब्जियां मिला देना। थोड़ी-सी रचनात्मक और कल्पना के इस्तेमाल से उपलब्ध स्थानीय खाद्यान्नों को बिना अधिक लागत के पौष्टिक बनाया जा सकता है। उदाहरण के लिए पालक (साग) हर जगह उपलब्ध होता है, उसे दाल में डाला जा सकता है।

बॉक्स 6 : पोषण संबंधी तथ्य

अनाज :- चावल, गेहूँ, ज्वार, बाजरा, रागी आदि अनाज इस समूह में शामिल है। ये हमें ऊर्जा या कैलोरी, प्रोटीन तथा अदृश्य वसा (चिकनाई) देते हैं। इनमें हमें लोहा, थिआमाइन, रिबोफ्लैविन, फोलिक एसिड और रेशा मिलता है।

दलहन और फलियाँ :- इस समूह में सभी दालें और फलियाँ, सेम, सोया के दाने, मटर, चने, राजमा, छोला आदि आती हैं। ये भी ऊर्जा, प्रोटीन तथा अदृश्य वसा, विटामिन, बी-1, विटामिन बी-2, फोलिक एसिड, कैल्शियम तथा विटामिन बी-2 मिलता है।

दूध, बदाम तथा मांसाहारी उत्पाद :- इस समूह में दूध, दही, छेना, पनीर, बदाम, मूंगफली, मुर्गी, मांस, अंडा, मछली जैसे खाद्य पदार्थ शामिल है। इनसे प्रोटीन, वसा, कैल्शियम तथा विटामिन बी-2 मिलता है।

फल व सब्जियाँ :- इस समूह में हरी पत्तेदार सब्जियाँ, पीले या नारंगी फल व सब्जियाँ, पीले या नारंगी फल व सब्जियाँ, जैसे पपीता, आम, गाजर, टमाटर, कद्दू, डंठल, पत्तियाँ, फूल और पत्ता गोभी, भिंडी, बैंगन, करेला, लौकी, तुरई, सहजन की फली आदि शामिल हैं। आंवला और नींबू जैसे फलों से खनिज तत्व तथा विटामिन, खासकर विटामिन-सी, कैल्शियम, लौह तत्व, फोलिक एसिड तथा विटामिन ए मिलता है। साथ ही इनसे अन्य पोषक तत्व, अदृश्य वसा, विटामिन बी-2 तथा रेशे प्राप्त होते हैं। ये खाने के स्वाद को बदल देते हैं व खाने में रेशे की मात्रा भी इन्हीं से मिलती है।

वसा तथा शर्करा :- यह समूह ऊर्जा या कैलोरी उपलब्ध करवाते हैं - वनस्पति तेल, घी, मलाई, चीनी व गुड़ इसमें शामिल हैं। इसमें खाने में स्वाद और संगुध बढ़ती है और वे अधिक कैलोरी उपलब्ध करवाते हैं। क्योंकि बच्चों की भोजन की मात्रा सीमित होती है अतः इनके उपयोग से कम मात्रा में अधिक कैलोरी दी जा सकती है। भारत में आमतौर पर पकाने के लिए सरसों, नारियल, मूंगफली, पाल्मोलीन तथा सूरजमुखी का तेल काम में लिया जाता है।

25. खाना कितना पकाना चाहिए?

सरकारी दिशा-निर्देशों के हिसाब से हर प्राथमिक शाला के बच्चे के लिए 100 ग्राम व उच्च प्राथमिक के लिए 150 ग्राम अनाज कानून के न्यूनतम मानदण्डों को बताते हैं। उसके साथ दाल, सब्जी, तेल, मसाले आदि होने चाहिए। यह जरूरी है कि हम बच्चों को भरपेट खाने दें। अगर जरूरी हो तो हमें खाने की मात्रा बढ़ाने के लिए अतिरिक्त संसाधन इकट्ठा करने चाहिए। अगर खाना नियमित रूप से कम पड़े तो सबसे पहले तो यही जांच करनी चाहिए कि कोई 'धांधली' तो नहीं कर रहा है। बॉक्स 4 अ व 4 ब और सी में क्रमशः मानव संसाधन मंत्रालय के दिशा निर्देशों एवं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून द्वारा निर्धारित न्यूनतम मापदंडों की सूची दी गयी है:

बॉक्स 4 (अ) मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा निर्धारित मध्याह्न भोजन के मापदण्ड (नवम्बर 2009 में जारी)			
क्र.सं.	वस्तु	मात्रा प्रतिदिन (ग्राम में)	
		प्राथमिक (कक्षा 1-5 तक)	उच्च प्राथमिक (कक्षा 6-8)
1	अनाज	100	150
2	दालें	20	30
3	सब्जियां (पत्तेदार सहित)	50	75
4	तेल और वसा	5	7.5
5	नमक और मसाले	आवश्यकतानुसार	

बॉक्स 4 (ब) : राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून 2013 के अनुसार मध्याह्न भोजन के मापदण्ड		
पोषक	प्राथमिक	उच्च प्राथमिक
कैलोरी (कि.क.)	450	700
प्रोटीन (ग्राम)	12	20

(बाक्स : 4 सी) Portion Size of Foods (raw) and Nutrients

	g/portion	Energy (Kcal)	Protein (g)	Carbohydrate (g)	Fat (g)
Cereals & Millets	30	100	3.0	20	0.8
Pulses	30	100	6.0	15	0.7
Egg	50	85	7.0	-	7.0
Meat/Chicken/Fish	50	100	9.0	-	7.0
Mild (ml) & Milk Products	100	70	3.0	5	3.0
Roots & Tubers	100	80	1.3	18	-
Green Leafy Vegetables	100	46	3.6	-	0.4
Others Vegetables	100	28	1.7	-	0.2
Fruits	100	40	-	10	-
Sugar	5	20	-	5	-
Fat & Oils (Visible)	5	45	-	-	5.0

26. क्या हर रोज वही भोजन पकाना और परोसना चाहिए?

बिल्कुल नहीं! बल्कि कोशिश यह होनी चाहिए कि खाने में अलग-अलग तरह के साथ में पौष्टिक भी हो। किसी एक ही सब्जी, फल या अनाज में सभी आवश्यक पोषण तत्व नहीं होते। अलग-अलग तरह का खाना यह भी सुनिश्चित करता है कि बच्चे हर दिन ठीक से खाएं।

यह बिल्कुल संभव नहीं है कि खर्च का ख्याल रखते हुए विविध व पौष्टिक भोजन की योजना बनाई जाए। स्थानीय समुदाय, विधालय प्रबंधन समिति, महिला स्वयं सहायता समूह और पोषण विशेषज्ञों (जैसे स्थानीय होम साइन्स कॉलेज) की सलाह से आहार की योजना बना सकते हैं। दालें, हरी पत्तेदार सब्जियां, अंकुरित अन्न, अंडे व दूध, केले जैसे फल दिए जा सकते हैं और ढोकला, दाल-भात, दलिया, खीर जैसे व्यंजन भी पकाए जा सकते हैं। कब क्या पकेगा इसकी सूची स्थानीय स्तर पर (जिला स्तर या उससे भी नीचे, खण्ड स्तर पर) बनाई जानी चाहिए क्योंकि देश के अलग-अलग हिस्सों में उपलब्ध खाद्य सामग्रियों व भोजन पकाने की शैली में भी काफी अंतर होता है।

कई राज्यों द्वारा पौष्टिक और विभिन्नता लिए हुये सरकारी मेनू बनाया गया है। उदाहरणार्थ तमिलनाडू राज्य में चावल एवं साम्भर के अतिरिक्त सप्ताह में पाँच दिन एक-एक अंडा दिया जाता है। उडिसा और झारखण्ड में भी अंडा दिया जाता है। मध्याह्न भोजन में दी जाने वाली अन्य पौष्टिक सामग्री में हरि सब्जियाँ, काबुलि चना, फल और दलिया है।

27. बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण को बेहतर बनाने के लिए मध्याह्न भोजन के अलावा क्या किया जा सकता है?

अगर "विधालय स्वास्थ्य योजना" का कार्यक्रम जोड़ दिया जाए तो वह मध्याह्न भोजन कार्यक्रम का पूरक होगा। ऐसे किसी कार्यक्रम में बच्चों की वृद्धि (बढ़त) की देखरेख उन्हें पूरक सूक्ष्म पोषण तत्व (जैसे लौह तत्व) देना, टीकाकरण और सामान्य घर कमजोर करने वाले रोगों के उपचार, आंखों व दातों की नियमित जांच करना शामिल है। यह बहुत जरूरी है कि बच्चों के लिए पीने का साफ पानी आसानी से उपलब्ध हो, और साफ शौचालयों की व्यवस्था भी हो।

भाग - 5

हम क्या कर सकते हैं

यह सच है कि मध्याह्न भोजन योजना अब सार्वभौमिक हो चुकी है और यह एक तरह की जीत है, क्योंकि यह जनता के दबाव तथा सर्वोच्च न्यायालय की मदद से संभव हुआ है। फिर भी कुछ राज्यों में जो मध्याह्न भोजन दिया जाता है उसकी गुणवत्ता काफी कम है : परोसा जाने वाला खाना पर्याप्त और विभिन्नता वाला नहीं होता साफ—सफाई संबंधी सावधानियाँ नहीं बरती जाती और कभी बाधित हो जाता है। अतः अगली चुनौती यह है कि मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता में क्रांतिकारी बदलाव लाया जाए। यह हांसिल करना हो तो फिर से जनता को सतत दबाव डालना होगा, क्योंकि यह साफ है कि बाल अधिकार राजनैतिक एजेंडे में प्राथमिकता पर नहीं है। इस कोशिश में सभी अपना योगदान दे सकते हैं : सभी स्तरों पर काम करने की जरूरत है : जन कार्रवाई में दूर—दराज के गांवों से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक काम करना होगा और यहां पर हर व्यक्ति की भूमिका है : माता—पिता, शिक्षक, पत्रकार, राजनीतिज्ञ या समुदाय के सदस्य।

यह कैसे किया जाए इसकी कोई तयशुदा विधि नहीं है। स्थानीय परिस्थितियों और लोगों की कल्पनाशक्ति पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। अतः हम कोई खाका या नक्शा बना या खींच नहीं सकते। फिर भी हम कुछ विचार और सुझाव सामने रख सकते हैं जो इस अभियान के दौरान उभरे थे। इनमें से कई का पहले भी, कहीं न कहीं उपयोग हो चुका है। हमें उम्मीद है कि ये 'संकेत' आपको अपने इलाके में ऐसी ही किसी गतिविधि को शुरू करने में मदद करेंगे।

क्या "जॉच" करें -

स्थानीय स्तर पर कुछ करने की शुरुआत में पहली चीज जो जांचनी चाहिए वह यह है कि आपके अपने गांव या इलाकों में मध्याह्न भोजन की क्या स्थिति है। यह छानबीन या तो अनौपचारिक रूप से की जा सकती है (जैसे आप स्थानीय विधालय में जा सकते हैं या बच्चों से सवाल कर सकते हैं) या फिर औपचारिक सर्वेक्षणों द्वारा भी की जा सकती

है (नीचे देखें) दोनो ही प्रकार की जांच-पड़ताल के समय आपको कुछ मुद्दों को बारीकी से देखना होगा :

- क्या मध्याह्न भोजन नियमित रूप से दिया जा रहा है?
- बच्चों को दिया जा रहा मध्याह्न भोजन सरकारी व्यजनी के अनुसार है? क्या भोजन की पौष्टिकता को बढ़ाने के लिए सभी उपलब्ध संसाधनों तथा "रचनात्मकता" को काम में लेने की पर्याप्त कोशिश की जा रही है? (उदाहरण के लिए विधालय परिसर में या आसपास सब्जियाँ लगाना)
- क्या भेदभाव की कोई घटना घटी, जैसे दलित व्यक्ति को खाना पकाने या सहायक के पद से हटाना या अलग-अलग जाति के बच्चों को अलग बैठा कर खाना परोसना?
- क्या शिक्षकों, माता-पिता, रसोईया, सहायक या बच्चों के मध्याह्न भोजन के बारे में कोई शिकायतें हैं? जैसे - क्या कभी भोजन विषाक्त होने की घटना घटी है?
- क्या रसोईये या सहायक को कोई ऐसी परेशानी हुई है जिस पर ध्यान देना जरूरी हो?
- क्या मध्याह्न भोजन की व्यवस्था ऐसी है कि उससे कक्षाएं नहीं गड़बड़ाती?
- क्या आवश्यक ढांचे मौजूद हैं? रसोई का अलग शेड, भण्डार घर, बर्तन-भांडे व साफ पानी उपलब्ध है?
- क्या सुरक्षा और साफ-सफाई की आवश्यक सावधानियाँ बरती जाती हैं?
- मध्याह्न भोजन उपलब्ध करवाने में भ्रष्टाचार तो नहीं हो रहा है? ये मुख्य मुद्दों के कुछ उदाहरण हैं, स्थानीय स्थितियों के अनुसार आप सवालों की इस सूची को बढ़ा सकते हैं।

शिकायत कैसे करें:

अगर आपके क्षेत्र में मध्याह्न भोजन को लेकर कुछ अनियमितताएं हैं। उदाहरण के लिए किसी एक विद्यालय में यह योजना बंद हो गई है या मध्याह्न भोजन नियमित रूप से नहीं दिया जा रहा है तो आप उस जिला के जिला शिकायत निवारण अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं

खाद्य सुरक्षा कानून के अंतर्गत हर जिला के अपर समाहर्ता को जिला शिकायत निवारण अधिकारी बनाया गया है आप शिकायत जिला शिकायत निवारण अधिकारी को सीधे या फिर प्रखंड विकास पदाधिकारी के माध्यम से दे सकते है।

जिला शिकायत निवारण अधिकारी शिकायतों को सुनकर मापदंडों के अनुसार कार्रवाई करेंगे। यदि शिकायतकर्ता इससे संतुष्ट नहीं है तो वह राज्य खाद्य आयोग को शिकायत कर सकता है राज्य खाद्य आयोग को दंड देने का अधिकार होगा . जिला शिकायत निवारण अधिकारी का आदेश न मानने वाले अधिकारी पर 5000 रु तक जुर्माना होगा।

इसके अलावा मध्याह्न भोजन से जुड़ी अन्य अनियमितताएं भी हो सकती हैं जैसे कि वहां जो दलित व्यक्ति रसोइए के पद पर था उसे गांव के सवर्ण नेताओं ने हटा दिया है, तो इसकी शिकायत विधालय प्रबंधन समिति या ग्राम पंचायत में बात करें। अगर हम रचनात्मक दृष्टिकोण अपनाएं तो अक्सर यह सम्भव होता है कि समस्या स्थानीय स्तर पर ही सुलझाई जा सके।

अगर यह कोशिश नाकाम होती है तो यह पता लगाएं कि आपके इलाके में कौन सा "विभाग" मध्याह्न भोजन के लिए जिम्मेदार है। सरकारी भाषा में इसे "नोडल विभाग" कहते हैं। कुछ राज्यों में शिक्षा विभाग को इस योजना के लिए नोडल विभाग बनाया गया है तो कुछ अन्य राज्यों में किसी अन्य विभाग को जैसे ग्रामीण विकास विभाग (राजस्थान में) या सामाजिक कल्याण और पौष्टिक भोजन विभाग (तमिलनाडु में) तब यह मुद्दा उस विभाग के संबंधित अधिकारियों के सामने उठाया जा सकता है जैसे अगर शिक्षा विभाग जिम्मेदार हो तो आप प्रखण्ड शिक्षा अधिकारी (बी.ई.ओ.) के पास जा सकते हैं।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून 2013 की धारा 28 के अन्तर्गत समाजिक अंकेक्षण करने की बात कही गयी है।

अभी विद्यालय में मध्याह्न भोजन को लेकर झारखण्ड में सरकार के संस्थान 'समाजिक अंकेक्षण एकाई' के द्वारा पायलेट स्तर पर समाजिक अंकेक्षण किया जा रहा है।

किसी खास मुद्दे पर जनता का ध्यान आकर्षित कर स्थानीय

अधिकारियों पर दबाव बनाने में कई बार “जन सुनवाई” बड़ी कारगर सिद्ध होती है। अगर अधिकारी फिर भी नहीं चेतते तो कई तरह के संघर्ष पर सोचा जा सकता है जैसे— रैली, धरना, घेराव आदि।

खाद्य सुरक्षा भत्ता : राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 की धारा 39 की उपधारा 2 के उपखंड (ख) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए केंद्र सरकार ने मध्याह्न भोजन नियम, 2015 बनाया है जिसके अनुसार:

- यदि खाद्यान्न, पकाने की लागत, इंधन उपलब्ध न होने या रसोईया के अनुपस्थित रहने या किसी अन्य कारणों से विधालय में मध्याह्न भोजन उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो अगले महीने की 15 तारीख तक निम्नलिखित तरीके से खाद्य सुरक्षा भत्ता बच्चे की पात्रता के अनुसार खाद्यान्न की मात्रा और राज्य में उस समय खाना पकाने की लागत के बराबर होगा।
- यदि विद्यालय में लगातार 3दिन तक अथवा एक महीने में कम से कम 5 दिन तक मध्याह्न भोजन उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो राज्य सरकार स्थापित प्रक्रियाओं के अनुसार व्यक्ति या एजेंसी पर इसके लिए राज्य सरकार जिम्मेदारी तय करने के लिए कार्रवाई करेगी।

प्रयोगशालाओं द्वारा भोजन का परीक्षण :

मध्याह्न भोजन नियम 2015 के अनुसार सरकारी खाद्य अनुसंधान या मान्यता प्राप्त कोई भी प्रयोगशाला, बच्चों को दी जाने वाले पके पकाए गर्म भोजन का मूल्यांकन करेगी और इसे प्रमाणित करेगी ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि मध्याह्न भोजन राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम में निर्दिष्ट मानकों और क्वालिटी के अनुसार हो ।

सामुदायिक कार्रवाई

जैसा पहले भी कहा जा चुका है मध्याह्न भोजन जैसी योजनाओं की एक आम समस्या है “सामुदायिक भागीदारी” का अभाव। सामुदायिक भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए कुछ उपाय किए जा सकते हैं :

- मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता के बारे में बच्चों से नियमित पूछताछ करना : खाना कितना पौष्टिक है क्या वह बच्चों को अच्छा लगता

है, खाने के बाद कोई बीमार तो नहीं हुआ, इत्यादि।

- विद्यालय प्रबंधन समिति की बैठकों में शिकायत करना और अगर आपको कोई अनियमितताएं नजर आई हों तो उसकी सूचना देना।
- यह आग्रह करना कि विद्यालय प्रबंधन समिति मध्याह्न भोजन की नियमित निगहबानी करे।
- ग्राम पंचायत या ग्राम सभा में मध्याह्न भोजन से संबंधित मुद्दे उठाना तथा जॉच के लिए बही-खाते दिखाने की मांग करना।
- खाने-पीने की सामग्री की आवश्यक व्यवस्था पर तथा खर्च पर नजर रखना।
- अगर वित्तीय दुरुपयोग की घटना हो तो शिष्ट अधिकारियों के विरुद्ध त्वरित कार्रवाई की मांग करना।
- मध्याह्न भोजन बेहतर बनाने के लिए बर्तन-भांडे इकट्ठा करना, आवश्यक ढांचों को सुधारना, किन्ही खास अवसरों पर विशेष भोजन खिलाना आदि के प्रयास किए जा सकते हैं। इसका एक उपाय है समय-समय पर चंदा इकट्ठा करना।
- यह सुनिश्चित करना कि भोजन पकाने वाले व उनके सहायकों की नियुक्ति न्यायोचित और पारदर्शी तरीके से की जाए और इन पदों पर दलित महिलाओं को प्राथमिकता दी जाए। साथ ही अगर आवश्यकता पड़े तो दलितों को इस पर स्वीकारने में समुदाय में सहमति बनाने का काम भी किया जाए।
- खाना पकाने वालों और उनके सहायकों की क्षमताएं बढ़ाने में मदद की जाए ताकि वे सुरक्षित, पौष्टिक और स्वादिष्ट भोजन खिला सकें।
- मध्याह्न भोजन क्रियान्वयन और देखरेख में महिला मण्डल और स्वयं सहायता समूहों को जोड़ उनकी भागीदारी पाने की कोशिश करना।
- सभी संबंधित लोगों-शिक्षकों, बच्चों के माता-पिता, गाँव के नेताओं-मुखियाओं और जरूरत पड़े तो स्थानीय अधिकारियों को सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों की जानकारी देना।

बॉक्स 7: आन्ध्र प्रदेश में मध्याह्न भोजन के लिए सामुदायिक कार्रवाई

मध्याह्न भोजन के लिए यहाँ पर सामुदायिक लामबंदी की दिशा में कई रचनात्मक कदम उठाए गए। पिछले 14 वर्षों से आन्ध्र प्रदेश के एम.वी. फाउन्डेशन ने गांव के समुदायों के साथ सार्वभौमिक शिक्षा और बाल मजदूरी के खात्मे के लिए कार्य किया। कई गांवों में बाल अधिकार सुरक्षा फोरम की स्थानीय समितियाँ बनाई गईं और पुरानी समितियाँ; जैसे ग्राम पंचायत, विद्यालय शिक्षा समिति को सक्रिय किया गया। जब मध्याह्न भोजन शुरू हुआ तब इन समितियों ने इस योजना के क्रियान्वयन की कोशिश की। इन समितियों ने बड़ी उदारता से अपना योगदान दिया। उदाहरण के लिए कोंडाकल गांव; जिला रंगारेड्डी में ग्राम पंचायत ने गिलास और प्लेट दान किए और जिला चितूर में विद्यालय शिक्षा समिति ने रसोई के शेड के इंतजाम के लिए चंदा इकट्ठा किया। मध्याह्न भोजन योजना अनुसूचित जाति महिला संघों द्वारा संचालित की जाती है। शुरू में इस कार्यक्रम को काफी विरोध का सामना करना पड़ा जैसे उच्च जाति के छात्रों ने दलित महिला द्वारा बनाए गए भोजन का बहिष्कार किया। ऐसी घटनाओं में अभिभावक, शिक्षकों और विद्यालय शिक्षा समिति के बीच बैठकें आयोजित की गईं, जिसमें उन्हें मध्याह्न भोजन के महत्व के बारे में बताया गया। इस तरह की बैठकों का यह असर हुआ कि ज्यादातर विद्यालयों में छात्रों ने एक साथ बैठकर खाना शुरू किया। उदाहरण के लिए गांव अम्बटपल्ली; जिला मेहबूब नगर में कई उच्च जाति के बच्चों ने विद्यालय छोड़ दिया क्योंकि वहां दलित रसोइयों की नियुक्ति थी। इस पर बच्चों को वापस विद्यालय भेजने के लिए बाल अधिकार सुरक्षा फोरम ने अभिभावकों के साथ सभा की। लेकिन अभिभावकों के मना करने पर बाल अधिकार सुरक्षा फोरम ने तय किया कि इस समस्या को सुलझाने में और समय की शुरुआत है। घर-घर जाकर अभिभावकों के साथ बात की गई और बच्चों को विद्यालय भेजने के लिए प्रेरित करने का अभियान चलाया गया। कुछ ने बच्चों को विद्यालय भेजने की रजामंदी दी और दूसरे बच्चों के साथ खाना खाने की इजाजत दी। तब गांव में एक सभा आयोजित की गई जिसमें मंडल शिक्षा अधिकारी और अन्य उच्च अधिकारियों को भी बुलाया गया। इसके बाद बहुत से बच्चे वापस विद्यालय आ गए। और सभी जाति के बच्चों ने दलित रसोइयों के हाथ का बना भोजन खाना आरम्भ कर दिया। ज्यादातर गाँव में जहाँ पर इस तरह की लामबंदी हुई वहाँ मध्याह्न भोजन नियमित हुआ और जातिगत तनाव को सुलझाया जा सका। पर भोजन की अच्छी गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए संघर्ष जारी है। कुछ गाँवों में अब तक बच्चों को सिर्फ दाल चावल ही मिलता है। पर जिन गाँवों में, जहाँ ज्यादा दबाव है और समिति की निगरानी है, वहाँ अंडे, फल, सब्जियाँ भी दी जाती हैं।

पैरवी तथा मीडिया

कई ऐसी समस्याएं होती हैं जिन्हें स्थानीय स्तर पर सुलझाना कठिन होता है। तब जरूरत पड़ती है ऊपर के स्तर पर नीतियों को बदलने की। उदाहरण के लिए अगर मध्याह्न भोजन के लिए बजट में किए गए प्रावधान बहुत ही कम हो (मान लें कि यह प्रावधान संशोधित न्यूनतम मानक पांच रू. प्रति बालक, प्रति दिन से भी कम हो) तो स्थानीय प्रधानाध्यापक या प्रखण्ड शिक्षा अधिकारी भी इस विषय में कोई कार्रवाई नहीं कर सकेंगे, क्योंकि बजट आवंटन तो राज्य सरकार करती है। सरकारी नीतियों में बदलाव के लिए व्यवस्थित रूप से "पैरवी" की आवश्यकता पड़ती है। इसके लिए विधायकों पर दबाव डालना पड़ता है, उन्हें अपने पक्ष में करना होता है। लामबन्दी के लिए मुख्यमंत्री को पत्र लिखने पड़ते हैं, राज्य की राजधानी में रैलियाँ निकालनी होती हैं, अखबारों में लेख-पत्र आदि लिखने पड़ते हैं। इस संदर्भ में आप जो मांगे उठा सकते हैं वह हैं :

- राज्य सरकार भोजन पकाने के मद पर काम से कम पाँच रू. प्रति बालक प्रति दिन मुहैया करवाए।
- सभी प्राथमिक शालाओं में खाना पकाने का अलग से रसोईघर हो व अन्य माकूल ढांचों की व्यवस्था की जाए।
- राज्य सरकार मध्याह्न भोजन के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी करे और उनका व्यापक प्रचार-प्रसार करे।
- मध्याह्न भोजन छुट्टियों के दौरान भी उपलब्ध करवाया जाए, सम्भव हो तो सभी स्थानों पर, नहीं तो कम से कम उन इलाकों में जो सूखा पीड़ित हों।
- मध्याह्न भोजन में "पूरक सूक्ष्म पोषण" का हिस्सा भी जोड़ा जाए। उदाहरण के लिए जिन बच्चों को जरूरत हो उन्हें विटामिन ए और लोह तत्व की गोलियाँ दी जाएं।
- निजि ठेकेदारों द्वारा मध्याह्न भोजन आपूर्ति पूर्णतः निषेध होनी चाहिये।
- जो बच्चे विधालयी व्यवस्था से बाहर हैं उन पर भी विशेष ध्यान दिया जाए, खासकर बाल श्रमिकों तथा सड़क पर रहने वाले बच्चों पर।

- अगर आप पैरवी का काम कर रहे हैं तो मीडिया को न भूलें। कम समय में ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचने का सबसे प्रभावी माध्यम है दैनिक अखबार तथा टी.वी. के साक्षात्कार। राजनीतिक व आला सरकारी अफसर भी मीडिया की आलोचना की फिक्र करते हैं, सो उन्हें सचेत रखने के लिए इनका उपयोग करना अच्छा उपाय है।
- फिर भी ध्यान रहे कि मध्याह्न भोजन जैसे सामाजिक मुद्दे की ओर मुख्यधारा के अखबारों या टी.वी. चैनलों को आकर्षित करना हमेशा आसान नहीं होता। खुद लेख-पत्र लिखने, दोस्ताना पत्रकारों के साथ रिश्ते बनाने, चौकाने वाले तथ्यों को जांचने-तलाशने और प्रभावी प्रेस कान्फ्रेंस आयोजित करने में समय लगाना पड़ता है।
- पर यह सब सीखने का सबसे अच्छा उपाय भी “करते हुए सीखने” का है। फिर भी जिन लोगों को मीडिया का अनुभव है उनकी सलाह भी लेनी चाहिए। मीडिया का प्रभावी उपयोग कठिन जरूर है पर एक प्रभावी अस्त्र भी है।

शोध

मुद्दे पर कुछ ठोस करने का एक और प्रभावी उपकरण है शोध। अगर आपके पास ठोस तथ्य हैं तो संबंधित अधिकारियों के लिए आपकी मांग को अनदेखा करना अधिक कठिन होगा।

मीडिया संबंधी काम की ही तरह शोध का काम भी कठिन है और किए बिना यह सीखा भी नहीं जा सकता है। पहले भी बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, कर्नाटक, मध्यप्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल आदि राज्यों में मध्याह्न भोजन पर सर्वेक्षण व अध्ययन किए गए थे। इन सर्वेक्षणों और अध्ययनों से भी काफी कुछ सीखा जा सकता है। इनमें से कई अध्ययन रोजी-रोटी अधिकार अभियान की बेबसाईट www.righttofoodcampaign.in पर उलपब्ध हैं। यहाँ आपको सर्वेक्षण प्रश्नावलियाँ, शोधकर्ताओं के लिए दिशा-निर्देश व संबंधित सामग्री भी मिलेगी।

हम मिल-जुल कर काम करें

प्राथमिक शालाओं में पौष्टिक मध्याह्न भोजन को सार्वभौमिक बनाने का अभियान एक व्यापक “जन आंदोलन” का रूप लेने लगा है। देश भर की कई संस्थाएं और व्यक्ति इस मुद्दे को अपनी-अपनी तरह से उठा

रहे हैं। बेहतर है कि आप यह भी जानने की कोशिश करें कि आपके क्षेत्र या राज्य में इस पर कौन-कौन काम कर रहे हैं ताकि आप भी समान विचार धारा के लोगों से जुड़ सकें। राज्य सरकार के समक्ष सफल पैरवी के लिए भी मिल-जुल कर काम करना बेहद जरूरी है।

बॉक्स 8: झारखंड में मध्याह्न भोजन अभियान

पिछले कई वर्षों से देश भर के कई राज्यों में मध्याह्न भोजन को लेकर सक्रिय आंदोलन चल रहे हैं। इन आंदोलनों ने राज्य सरकारों द्वारा सुप्रीम कोर्ट के आदेश (28 नवम्बर 2001) को लागू करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है

झारखंड में मध्याह्न भोजन के लिए आंदोलन की शुरुआत 17 फरवरी 2002 को भारत ज्ञान विज्ञान समिति की 'धनबाद अपील' से हुई थी। अपील का मकसद था 28 नवम्बर 2001 के सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की ओर "ध्यान आकर्षित" करना, और 9 अप्रैल 2002 को "कार्रवाई दिवस" के रूप में मानना। 9 अप्रैल को जो कार्रवाई की गई उसमें स्थानीय समुदाय की आरे से "जन मध्याह्न भोजन" आयोजित किया गया। इस कदम को उठा कर लोग सरकार को यह जताना चाहते थे कि वे सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के क्रियान्वयन का इंतजार करते-करते थक चुके हैं। कार्रवाई दिवस के पहले एक जागरूकता अभियान चलाया गया है जिसमें पोस्टरों, पच्ची दीवार चित्रों, नवुकड, नाटकों का उपयोग किया गया। 9 अप्रैल 2002 को कई संगठन "कार्रवाई दिवस" की गतिविधियों गतिविधि से जुड़े। पंचायतों, ग्राम सभाओं, शिक्षकों, आम जनता के साझें योगदान से सैकड़ों विधालयों में जन मध्याह्न भोजन तैयार किया गया। रांची के टाउन हॉल में लगभग 2500 बच्चे इकट्ठा हुए और उन्होंने भी प्राथमिक शालाओं में मध्याह्न भोजन शुरू करने की मांग की।

दूसरा आंदोलन 11 जुलाई 2002 को सामने आया जब सैकड़ों बच्चों ने रांची में मुख्यमंत्री निवास के सामने मार्च किया। बच्चों ने धारा 144 को नजरअदाज कर सुरक्षा गार्डों की नजरों से बचते हुए मुख्यमंत्री निवास में घुसकर उन्हें अर्जी दी। मुख्यमंत्री ने उनकी बातों को बड़े ध्यान से सुना और मामले पर गौर करने का आश्वासन भी दिया। पर बाद में झारखंड सरकार ने अपने पैर वापस खींचे और बहाना बना कर मध्याह्न भोजन योजना को स्थगित कर दिया। नवम्बर 2003 को दूसरा आंदोलन प्रारम्भ हुआ जिसमें हस्ताक्षर अभियान, एक बार फिर से जनता की ओर से भोजन का आयोजन, एक बाल संसद का आयोजन और सचिवालय के बाहर धरना की गतिविधियाँ की गईं ।

इस आंदोलन का यह असर हुआ कि दिसंबर 2003 का झारखंड सरकार ने मध्याह्न भोजन योजना को आखिरकार सरकारी प्राथमिक स्कूलों में चालू कर ही दिया। प्रारम्भिक चरण में काफी दिक्कतें आईं जिसमें व्यवस्थाओं का अभाव, भोजन का विषाक्त होना, और कुछ ऊँची जाति के लोगों के द्वारा विरोध के मामले सामने आए। फिर भी समय के साथ-साथ मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता और इसके फैलाव में प्रगति हुई है

2004 में ग्राम स्वराज अभियान द्वारा किए गए सर्वेक्षण से पता चला कि ज्यादातर सेम्पल विधालयों में अब मध्याह्न भोजन दिया जा रहा है। अभिभावकों द्वारा भोजन की गुणवत्ता साधरणतः अच्छी बताई गई और उपस्थिति में भी बढ़त दर्ज हुई । खासतौर से लड़कियों और विपन्न बच्चों की संख्या में सुधार आया। एक को छोड़कर सभी शिक्षकों ने मध्याह्न भोजन योजना को जारी रखने की इच्छा जताई ।

अंडा अभियान: 4 जुलाई 2014 को भोजन का अधिकार अभियान, झारखंड द्वारा मध्याह्न भोजन में नियमित अंडा देने और झारखंड में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के शीघ्र क्रियान्वयन की मांग को लेकर राज्य स्तरीय अंडा अभियान का आयोजन किया गया. इस जन अभियान का आयोजन राज्य के 19 जिलों के लगभग 147 विद्यालयों में किया गया. इस अभियान के परिणाम स्वरूप 25 अगस्त को झारखंड सरकार की कैबिनेट ने अपने बजट से 156 करोड़ रुपये का प्रावधान करते हुए मध्याह्न भोजन में 3 दिन अंडा और फल शामिल करने का निर्णय लिया.

अंतिम, पर बेहद महत्वपूर्ण बात : अगर आपको इस "प्रवेशिका" से मध्याह्न भोजन के मुद्दे को समझने में मदद मिली है तो इसका प्रचार करने में हमारी मदद करें। ऐसा आप नीचे दिए गए तरीकों से कर सकते हैं :

- अपने गांव या संगठन में प्रवेशिका पर सामूहिक चर्चा आयोजित करें।
- अगर आपकी स्थानीय भाषा उपलब्ध न हो तो इसके अनुवाद की व्यवस्था करें।
- प्रवेशिका के कुछ भागों का उपयोग कर पोस्टर या पर्चे बनवाएं। उदाहरण के लिए बॉक्स 3 में सर्वोच्च न्यायालय के जो आदेश दिए गए हैं, उन्हें पोस्टर के रूप में स्थानीय विधालय, पंचायत भवन, आदि पर लगाएं।

कृपया याद रखें कि प्रवेशिका के विषय में आपके विचारों और सुझावों में हमारी रुची है।

मध्याह्न भोजन को सार्वभौमिक बनाने का अभियान केवल बाल अधिकारों की दृष्टि से ही महत्वपूर्ण नहीं है। यह हमें तमाम मुद्दों पर संगठित होने, उत्प्रेरित करने और हस्तक्षेप करने का अवसर भी देता है। ये मुद्दे हैं : लिंग आधारित असमानता, जातिगत भेदभाव, भ्रष्टाचार, सरकार की जवाबदेही, लोकतांत्रिक भागीदारी आदि। कानूनी कार्रवाई द्वारा आर्थिक और सामाजिक अधिकारों की मांग करने का यह एक महत्वपूर्ण उदाहरण भी है। अंतिम पर महत्वपूर्ण बात यह है कि संगठित कार्रवाई कितना बदलाव ला सकती है।

शिकायत निवारण प्रपत्र

तारीख.....

सेवा में

जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी सह अपर समाहर्ता

जिला

द्वारा प्रखंड विकास पदाधिकारी,

प्रखंड.....

जिला.....

विषय: राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के अंतर्गत स्कूल में मध्याह्न भोजन नहीं मिलने के सम्बन्ध में

महाशय

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में कहना है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून 2013 के अंतर्गत हमारे बच्चों को पिछले दिन/ महीने से स्कूल में दोपहर का भोजन नहीं मिल रहा है |

यह राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून 2013 की धारा 5(1-ख) का उल्लंघन है!
कृपया उचित कारवाई करते हुए स्कूल में मध्याह्न भोजन शुरू करवाया जाए एवं कानून की धारा(8) के अंतर्गत सभी हकदार बच्चों को खाद्य सुरक्षा भत्ता दिया जाए|

स्कूल का नाम:.....

टोला.....गाँव.....पंचायत:.....

शिकायतकर्ता/ओं के नाम

हस्ताक्षर

पता

दूरभाष सख्या

प्रतिलिपि— झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची

हरेक बच्चा जो प्राथमिक शाला में पढ़ने जाता है उसे पका हुआ पौष्टिक, मध्याह्न भोजन और शिक्षा के अधिकार की ओर यह एक महत्वपूर्ण कदम है। इस किताब में हरेक भारतीय बच्चे के बुनियादी हकों की जानकारी शामिल है जिसकी सूचना हर सरोकार रखने वाले नागरिक के पास होनी चाहिए।

